न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/23/2019

प्रवेश तिथि 12.03.19

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्रीमती सुरिन्दर कौर ओबेरॉय पत्नि श्री तेजिन्दर–पालसिंह ओबेरॉय, नि0 डब्ल्यू.जेड–208, गली नं.15, जी–ब्लॉक, हरिनगर (जेल रोड), नई दिल्ली–110058

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15.04.2019

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 19.01.19 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, अलवर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग के क्षेत्राधीन संधारित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन दिनांकः 19.01.19 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर कार्यालय द्वारा पत्रांकः लो.सू.अ./अन्तरण/2019/265–66 दिनांकः 12.02.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग/उपखण्ड अधिकारी अलवर को अन्तरित किया गया है।
5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.01.19 में वर्णित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 23.02.19 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर बार–बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 08.10.2018 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1)क से 8(1)ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसेज के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है।
8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं नियमानुसार स्पष्ट रूप से अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तद्नुसार विधिक विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित करें।

10. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

15-4-19

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)